राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

क्रमांक मुख्य/एनएचएम./आशा/चयन/ 2022/ 1092 दिनांकः 30/ 11/2022

श्रीमान संयुक्त निदेशक
सूचना प्रद्योगिकी एंव संचार विभाग
अलवर

विषयः– आशा सहयोगिनीयों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अलवर जिले के समस्त ब्लॉकों में आशा सहयोगिनीयों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति वेबसाईट पर अपलोड की जानी है। अतः पत्र के साथ जारी की गई विज्ञप्ति मय विस्तृत विवरण के साथ भिजवाई जा रही है जिसको वेबसाईट alwar.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ श्रीराम शर्मा)
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर

क्रमाकः मुख्य/एनएचएम/आशा/ चयन/2022/ 1092 दिनांकः30/ 11/ 2022

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्रीमान मिशन निदेशक एनएचएम निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर अलवर।
3. श्रीमान निदेशक (आरसीएच) निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर।
4. श्रीमान राज्य नोडल अधिकारी–आशा निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर।
5. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
6. जिला प्रजनन एंव शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
7. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0/स्वास्थ्य) अलवर।
8. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अलवर।
9. समस्त ब्लॉक विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति जिला अलवर।
10. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

क्रमांक मुख्य/एनएचएम./आशा/चयन 2022/1090 दिनांकः 30/11/2022

विज्ञप्ति संख्या 01/2022

अलवर जिले के निम्नलिखित ब्लॉक में आशा सहयोगिनी के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु सबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियो के कार्यालय में आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है।

ब्लॉकवार रिक्त पदों हेतु आंगनबाडी केन्द्रो के नाम :–

क0स0	खण्ड कार्यालय नाम	आशा पद हेतु रिक्त आंगनबाडी केन्द्रों का नाम
1	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –बानसूर	बानसूर–9, यादवो की ढाणी, तेवडी की ढाणी, ,नाथूसर, बालावास–1, कालीपहाडी, बजांरा जोहड, भुपसेडा–4, कल्याणपुरा,मौठुका–3, ढाणी चेचियान, मौजी की ढाणी, लालपुरा, चैनपुरा, खरकडीकुल
2	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –बहरोड	मोहम्मदपुर–1
3	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –खेडली	डहरिन–1, खेरली–6, तसई–6, खेरली–17, खेरली–15, खेरली रेल–3
4	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –किशनगढ़बास	किशनगढ़बास–8, खैरथल–16, कजाकपुर , पिलाथला, बलमग्राम, जगताबसई, बसई बालान, सेंटर का बास, बेडा का बास, खानपुर–3, कारौली–5 (नवेला का बास)
5	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –लक्ष्मणगढ	शीतल –1, चन्द्र का बास, तिलवाड–3,सजनपुरी, सुनारी, मोजपुर–1, मोजपुर–2, दौलतपुरा, सुरजगढ
6	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –मालाखेडा	मालाखेडा–1, मालाखेडा–5, ढूंगरीबास, बड़ाबास, धोलीदुब, घाटला का बास(मोहन का बास), माधोबास, गोपालपुरा, चांदोली–1, बनेसिंह का बास(चांदौली का बास), घाटी बास–2, नंगला सेडू, गुर्जर बास, महुआ कलां, बखतपुरा, सुन्दरबास, पैतपुर
7	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –मुण्डावर	मुण्डावर–3, खरेटा, खानपुरमेवान, कालुका
8	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –राजगढ	देवरी गुवाडा, लोसल, फहतेबुर्ज मौहल्ला वार्ड–12,
9	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –रामगढ	मुंडपुरी, हिंगोट का बास, मेडूबास, गोलकी, ककराली मेव–3, गोलेटा, बगडमेव–2
10	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –रैणी	उकेरी–2, बरेर–1
11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी – शाहजहॉपुर	कांकर–1
12	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी – थानागाजी	लावा का बास, राजपुरा मौहल्ला, हमीरपुर–2, देवीयाली, ढीगारीया
13	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी –तिजारा	ढाकपुरी, दमदमा, आंधाका, मायापुर, बनबन, छापर, मगदा की ढाणी खोहरी कलां, बन्दापुर, पथरेडी, कारेंण्डा–2, गाडपुर, कारेडी, फलसा, बहादरी, जोडीयामेव, जगमलहेडी, उधनबास, खानपुर–2 ,तिजारा सुनारवाडी वार्ड –6, तिजारा मालियो की बस्ती वार्ड–21, तिजारा ग्वारिया बस्ती वार्ड –24, तिजारा हरिजन बस्ती वार्ड–20, सिरोलीखुर्द ',खरखडी, बनवीरपुर, नगंलिया–1 (भिवाड़ी वार्ड–28)

आशा चयन हेतु वांछित पात्रता निम्नानुसार है–

1 ग्रामीण क्षेत्रं में महिला का जिस आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र मे आवेदन करने वाली महिला जिस अंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जावेंगा।

2 आशा सहयोगिनी पद हेतु आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवी उर्तीण होना आवश्यक है। आवेदक महिला का विवाहित होना अनिवार्य है।

3 विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति विधवा, तलाकशुदा ,परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित–प्रमस्तिष्क घात,रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन,तेजाब आक्रमण के पीडित,पेशीय दुष्पोषण के प्रकरण) में अधिकतम 45 वर्ष तक होगी।

4 आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचायल होने एंव उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है।

5 विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व आवेदन में पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

6 तलाकशुदा एंव परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय /उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश / डिक्री की छाप्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नही करने की घोषणा अंकन आवश्यक होगा।

7 विशेषयोग्यजन होने का प्रमाणपत्र सक्षम स्तरीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया होंना चाहिए।

8 आशा सहयोगिनीं के पद चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र निदेशालय के परिपत्र संख्या 186 दिनांक 13.07. 2022 के परिशिष्ट **" ब "** के अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।

9 जिन केन्द्रो/ग्रम पंचायत कि कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अजा/जजा/अल्प संख्यक वर्ग का है उन केन्द्रो चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनवाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी।

10 समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाणा पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

11 आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र सैकण्डरी की अंकतालिका /प्रमाण पत्र बीएड /एनटीटी/डीपीएसई डिप्लोमा यदि लागू हो तो मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/जनआधार कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/ मूल निवास प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति / जनजाति /पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आशा के रूप 1 वर्ष कार्यानुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो बीपीएल कार्ड केन्द्र सुचीअनुसार /अन्त्योदय/राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र यदि लागू हो तो एएनएम /जीएएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो विधवा /परित्यक्ता /तलाकशुदा का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः सलंग्न कि जावे।

12 आशा राज्य कर्मचारी न होकर मानदेय एवं प्रेरक प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाली सेवाकर्मी है इनके द्वारा ग्राम पंचायत/आंगनवाडी केन्द्रो पर दी जा रही है सेवाओ के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार इन्हे मानदेय एवं प्रेरक प्रतिपूर्ती राशि का भुगतान किया जावेगा। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

13 आवेदन फार्म संबधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में व्यक्तिशः /रजिस्टर्ड डाक द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दिनांक .31.12.2022. तक जमा किये जायेगे ।

14 सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

15 विज्ञप्ति के संबंध में आंगनबाडी केन्द्रवार /ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता /सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एंव वेबसाईट alwar.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

16 शेष शर्ते व नियम निदेशालय चिकित्सा स्वा0 एवं प.क. के परिपत्र 186 दिनांक 13.07.2022 एवं समय समय पर जारी निर्देश व परिपत्रों के अनुरुप लागू होंगे।

नोटः– उपरोक्तानुसार आशा रिक्त पदों की विज्ञप्ति संबधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाशित की जा रही है।

(डॉ श्रीराम शर्मा)
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
अलवर